रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275110
CG-DL-E-03082026-275110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4062] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 4062] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

का.आ. 4233(अ).—केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 73 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा किसी पत्तन को मेगा पत्तन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करती है।

1. **प्रयोज्यता. —** (1) यह अधिसूचना भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के तहत् सभी पत्तनों पर लागू होगी, चाहे वे महापत्तन के रूप में या महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के रूप में वर्गीकृत हो। यह मौजूदा पत्तनों और अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित नए पत्तनों, दोनों पर लागू होगी।

(2) इस अधिसूचना के तहत् किसी पत्तन का मेगा पत्तन के रूप में वर्गीकृत किया जाना, उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत महापत्तन या महापत्तन के अलावा अन्य पत्तन के रूप में उसकी मौजूदा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और अधिनियम की धारा 73की उप-धारा (4) के अनुसार होगा।

2. **परिभाषाएं. —** (1) इस अधिसूचना में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "वित्तीय वर्ष" से किसी वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है।

(ग) "कार्गो थ्रूपुट" से निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान किसी पत्तन पर संभाले गए कार्गो की कुल मात्रा अभिप्रेत है, जिसे मीट्रिक टन में व्यक्त किया जाता है, और इसमें सभी निर्यात-आयात (एक्जिम) और तटीय कार्गो शामिल होंगे, चाहे वह बल्क, ब्रेक-बल्क, तरल, शुष्क या कंटेनरीकृत हो। कार्गो थ्रूपुट की गणना इस प्रकार की जाएगी कि जहां तक व्यवहार्य हो,

यानान्तरित कार्गो की दोहरी गणना समाप्त हो और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सांख्यिकीय मानकों और पत्तन रिपोर्टिंग व्यवहारों के अनुकूल हो।

(2) इस अधिसूचना में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

3. मेगा पत्तन के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड. — (1) किसी पत्तन को मेगा पत्तन के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु तभी पात्र माना जाएगा यदि वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता हो:

(क) कोई भी महापत्तन या महापत्तन के अलावा कोई अन्य पत्तन जिसने निम्नलिखित कार्गो थ्रूपुट स्तर दर्ज किए हों:

(i) बल्क पत्तन के मामले में 150 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो थ्रूपुट; या

(ii) कंटेनर पत्तन के मामले में 7.5 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (एमटीईयू)

(ख) यदि कोई पत्तन, कंटेनरीकृत और बल्क कार्गो, दोनों संभालता है, कंटेनरीकृत कार्गो की मात्रा को संबंधित पत्तन द्वारा अपनाई गई मानक अंतरण पद्धति के अनुसार, मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के अनुरूप परिवर्तित और रिपोर्ट किया जाएगा।

(2) किसी पत्तन को उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी एक मानदंड को पूरा करने पर उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसे मानदंड पूरे किए है, नब्बे दिनों की अवधि के भीतर मेगा पत्तन घोषित किया जा सकता है।

(3) एक बार मेगा पत्तन के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद, ऐसा वर्गीकरण पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा, चाहे उस समयावधि के दौरान इसका कुल कार्गो थ्रूपुट मेगा पत्तन की थ्रेशहोल्ड से कम हो जाए; इस अवधि के पूरा होने के बाद ही स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

4. समीक्षा. — (1) केंद्र सरकार, यथाअपेक्षित, इस अधिसूचना के संचालन की समीक्षा कर सकती है।

[फा. सं. पीडी-24015/1/2026-पीडी-1/ई-378702]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

S.O. 4233(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 73 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby specifies the criteria for classification of a port as a Mega Port.

1. Application. — (1) This notification shall apply to all ports under the Indian Ports Act, 2025, whether classified as major ports or as ports other than major ports. It shall apply to both the existing ports and new ports notified under sub-section (1) of section 11 of the Act.

(2) Classification of a port as a Mega Port under this notification shall be without prejudice to its existing status as a major port or port other than major port under any law for the time being in force and in accordance with sub-section (4) of section 73 of the Act.

2. Definitions. — (1) In this notification, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);

(b) "financial year" means the period from the 1st day of April of a year to the 31st day of March of the succeeding year;

(c) "cargo throughput" means the aggregate quantity of cargo handled at a port during a specified financial year, expressed in metric tonnes, and shall include all export-import (EXIM) and coastal cargo, whether bulk, break-bulk, liquid, dry, or containerised. Cargo throughput shall be computed in a manner that, to the extent practicable, eliminates double counting of transhipped cargo and is consistent with internationally accepted statistical standards and port reporting practices.

(2) Words and expressions used in this notification and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Criterion for classification as Mega Port. — (1) A port shall be eligible to be considered for classification as a Mega Port if it satisfies any of the following criteria in the preceding financial year:-

(a) Any major port or port other than major port that has recorded following cargo throughput levels :

(i) 150 Million Metric Tonnes (MMT) of cargo throughput in the case of a bulk port; or

(ii) 7.5 Million Twenty-Foot Equivalent Units (MTEUs) in the case of a container port.

(b) In case a port handles both containerized and bulk cargo, the containerised cargo volume will be converted to and reported in Million Metric Tonnes (MMT) terms as per the standard conversion methodology adopted by the respective port.

(2) A port may be declared a Mega Port upon satisfaction of any one of the criterions specified in sub-clause (1) within a period of ninety days from the date on which the port satisfies such criteria.

(3) Once notified as a Mega Port, such classification shall remain valid for a period of five (5) years, even if the total cargo throughput falls below the mega port threshold during that time; the status will be reviewed only after the completion of this period.

4. Review. — (1) The Central Government may review the operation of this notification as and when required.

[F. No. PD-24015/1/2026-PD-I/E-378702]

Praveen P. Nair, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.03 17:04:06 +05'30'